

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बलराम भवन, भोपाल-462004
=====

:: 2 ::

क्रमांक एक 73-78/20-3/2003 भोपाल, दिनांक -
प्रति.

राज्य,
केन्द्रीय शिक्षा मण्डल,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर, ग्वातिपर को केवल
सी.बी.एल.ई. से संबद्धता हेतु स.ओ.सी. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर,
ग्वातिपर को सी.बी.एल.ई. नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-
पत्र विशेष प्रकार मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

1. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिला शिक्षा
अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना
होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के
पंचायक (परिभ्रम) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना
अनिवार्य होगा ।
2. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित
करना होगा ।
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार - प्रसार के लिए लिये गये
निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है
तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
4. वेलफेयर गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सहयता प्रदान कर
सकता है, परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्यप्रदेश शासन, स्कूल
शिक्षा विभाग को इनके किसी बेल परिसर या भवन की आवश्यकता
पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।

निरन्तर 2 पर.

5. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संवाहित करने के लिए यदि संस्था या
भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें
उपलब्ध कराना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा ज्ञापितानुसार

हस्ताक्षर :-

समो एलओ आर्य
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पुं० प्र० एक 73-78/20-3/2003

भोपाल, दिनांक - 27/06/2003

प्रतिनिधि :-

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला ग्वातिपर, मध्य प्रदेश ।
3. प्राचार्य, अशासकीय सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर, ग्वातिपर
की ओर सुवचारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उद्दिष्ट है ।

अवर सचिव
27/6/03

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.